

07/10/2020

आप यह प्राप्त पत्रावली मूल दवा पत्रावली के  
साथ देना है। चूंकि आप प्राची की मूल दवा  
पत्रावली - अक्षय टायरी। अक्षय पत्रावली में खारिज  
की जा चुकी है। सभी स्थिति में इस प्राप्त  
पत्रावली का कोई औचित्य नहीं रह गया

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर जिला - अलवर (राज0)

उनवान

बनाम.....

हस्म मुकद्मा.....

अन्तर्गत धारा.....

दिनांक  
कम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व त  
जो इस हु  
में

है। ज्ञात: यह प्राप्त पत्रावली श्री अकम लपरी  
अकम पेरवी में शरिफ की जाकर प्रकरण की  
जगिम् कार्यवाही इसी स्तर पर होप की जाती  
है। पूर्व में दिनांक 23/02/2022 को जारी अन्तर्गम  
संलग्न आदेश निरस्त किये गये हैं। पत्रावली  
केसल सुमार होकर नम्बर से कम है। बाह  
संकेपीय संलग्न मूल चावा पत्रावली रहे सुभा  
गया।

सहायक कमक्टर  
मुण्डावर (अलवर) राज0